फर्द अहकाम

2025/18

ज्वाला प्रसाद बनाम राज0 सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या ......7...../2025 प्रां0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956

आज्ञा विस्तृत रूप से

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 22.04.2025 | प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत जरिये अभिभाषक श्री रामगोपाल कुमावत द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 15/5/25 को पेश हों ।<br>(हस्ताक्षर)<br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.) | |
| | 15/5/25 | उभय ... स्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य —............हैं।<br>पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 19/6/25 को पेश हो।<br>(रीडर) | |
| | 19/6/25 | उभय ... स्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य मसरूफ..........हैं।<br>पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 20/6/25 को पेश हो।<br>(रीडर) | |
| | 20.6.25 | पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित/ अप्रार्थीगण तामील हो चुकी है अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस में था, यदि रजिस्टर प्रमाणित नहीं होता उचित के आदेश किये जाते हैं। विस्तृत आदेश अलग से लिखवाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उप खण्ड अधिकारी<br>शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.) | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 07 / 2025

उनवान

1. ज्वालाप्रसाद वर्मा पुत्र श्री जवाहरलाल जाति बलाई निवासी बुनकर मौहल्ला हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित 1 श्री रामगोपाल कुमावत प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 20.6.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीया की हाल आराजी खसरा नंबर 724 / 2 रकबा 0.0533, खसरा नम्बर 732 / 2 रकबा 0.1133 है कुल किता 2 रकबा 0.1666 वाकै ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. में स्थित है, जिसकी सम्पूर्ण खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।प्रार्थी का पूर्व में नाम कजोडमल पुत्र जवाहर रहा है उक्त नाम को प्रार्थी ने जरिये गजट नोटिफिकेशन दिनांक 29.8.2013 द्वारा अपना नाम ज्वाला प्रसाद वर्मा पुत्र जवाहरलाल करवा लिया था और प्रार्थी ने अपने समस्त लोक दस्तावेज राशनकार्ड, पहचान पत्र में अपना नाम कजोडमल पुत्र जवाहर के स्थान पर ज्वाला प्रसाद वर्मा पुत्र जवाहरलाल अंकित करवा लिया था तब से प्रार्थी को ज्वालाल प्रसाद वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाता है।

प्रार्थी सरकारी ऋण की आवश्यकता होने पर बैंक से ऋण लेने गया तो बैंक वालो ने प्रार्थी को ऋण देने से मना करने पर प्रार्थी अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने बाबत अप्रार्थी के कार्यालय गया तो अप्रार्थी ने दुरूस्त करने से इन्कार करने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ । अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 724 / 2 रकबा 0.0533, खसरा नम्बर 732 / 2 रकबा 0.1133 है कुल किता 2 रकबा 0.1666 वाकै ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज में प्रार्थी का नाम कजोडमल पुत्र जवाहर के स्थान पर ज्वाला प्रसाद वर्मा पुत्र जवाहर लाल दुरूस्त किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी के ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। प्रकरण बहस हेतु नीयत किया गया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थीया वकील की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ज्वाला प्रसाद वर्मा दर्ज है तथा प्रार्थी ने जरिये गजट

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

नोटिफिकेशन दिनांक 29.8.2013 द्वारा अपना नाम ज्वाला प्रसाद वर्मा पुत्र जवाहरलाल करवाया जाना साबित होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

## आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि यदि राजहित प्रभावित नहीं हो तो हाल आराजी खसरा नंबर 724/2 रकबा 0.0533, खसरा नम्बर 732/2 रकबा 0.1133 है कुल किता 2 रकबा 0.1666 वाके ग्राम हनुतपुरा पटवार हल्का हनुतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.में प्रार्थी का नाम कजोडमल पुत्र जवाहर के स्थान पर ज्वाला प्रसाद वर्मा पुत्र जवाहर लाल राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.5.2025 को सुनाया गया ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर-राज.)

( संजीव कुमार )
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
जिला जयपुर